# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 116/2019

पशुपति उम्र 69 वर्ष पुत्र लादूराम जाति ब्राहमण निवासी अलसीसर तहसील मलसीसर

वादी

बनाम

1. अश्वनी उम्र 55 वर्ष पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी अलसीसर हाल टमकोर विजडम वर्ल्ड स्कूल टमकोर तहसील मलसीसर
2. गोपाल उम्र 52 वर्ष पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 13 निर्बाणों का मोहल्ला, अलसीसर पैलेस के पीछे अलसीसर
3. सुमन्त उम्र 40 वर्ष पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 8 मुख्य बाजार अलसीसर
4. मु. किरण उम्र 53 वर्ष पुत्री राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 13 निर्बाणों का मोहल्ला, अलसीसर पैलेस के पीछे अलसीसर
5. मु. ज्योति उम्र 50 वर्ष पुत्री राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 13 निर्बाणों का मोहल्ला, अलसीसर पैलेस के पीछे अलसीसर
6. मु. दीपिका उम्र 45 वर्ष पुत्री राधेश्यामपत्नी गिरराज मिश्रा जाति ब्राहमण निवासी अलसीसर हाल प्लाट न0 37 एच II धर्मपार्क गली न0 5 सोडाला जयपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती किये जाने नक्शा ट्रेस सन् 2001–2002

निर्णय

निर्णय दिनांक 30.03.2022

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम न्योला तहसील मलसीसर की सरहद में भूमि गत ख0न0 142 तादादी 17 बीघा 19 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 172तादादी4.54 है0 अवस्थित है। जो वादी की पैतृक सम्पति है। जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार है व काबिज है। इस भूमि के पूर्व में सटकर जमीन गत ख0न0 143 तादादी 8 बीघा 18 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 173 तादादी 2.26 है0 स्थित है जो प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 की खातेदारी में है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी भूमि के पुराना नक्शा किश्तवार सन् 1935–36 तदनुसार सम्वत 1992 के अवलोकन से जेर बहस जमीन पुराने खसरा नम्बर 142 व 143 के बीच पुख्ता रेखा दर्शाई जाकर दोनो खसरा नम्बरान की जमीन के बीच सीमा रेखा कायम है। परन्तु बाद में नये बन्दोबस्त (सेटलमेंट) के दौरान तैयार किये गये नक्शा किश्तवार सन 2001–2002 में इस जमीन जेर बहस के दोनो नये खसरा नम्बरान 172 रकबा 4.54 है0 व खसरा नम्बरान 173 रकबा 2.26 है0 के बीच सीमा रेखा नहीं बनाई गई है। जबकि नक्शा किश्तवार में दोनो खसरा नम्बरान को अलग–अलग यथास्थान मार्क किया गया है। जो काबिले दुरूस्त योग्य है। अंत में वादी की खातेदारी भूमि ख0न0 172 रकबा 4.54 है0 व प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 की खातेदारी भूमि ख0न0 173 रकबा 2.26 है0 के बीच में पुराना नक्शा किश्तवार सन् 1935–36 के अनुसार नया

नक्शा किश्तवार सन् 2001–2002 के मध्य नपती कर यथास्थान सीमा रेखा कायम किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के राजस्व नक्शा किश्तवार के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर इकवाली जवाब पेश कर वाद वादी डिक्री फरमाया जाने में कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया।

जवाब देही पूर्ण होने के पश्चात वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में अपना स्वयं का शपथ पत्र (पीडब्ल्यू–1) पेश किया।

साक्ष्य पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर 172 तादादी 4.54 है0 व ख0न0 173 तादादी 2.26 है0 के राजस्व नक्शा किश्तवार सन् 1935–36 के अनुसार नया नक्शा किश्तवार 2001–2002 में दोनो खसरा नम्बरान की नपती कर दोनो के मध्य यथास्थान सीमा रेखा कायम किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया। उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

## निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी की खातेदारी भूमि ख0न0 172 रकबा 4.54 है0 व प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 की खातेदारी भूमि ख0न0 173 रकबा 2.26 है0 के बीच में पुराना नक्शा किश्तवार सन् 1935–36 के अनुसार नया नक्शा किश्तवार सन् 2001–2002 में दोनो खसरा नम्बरान के मध्य नपती कर यथास्थान सीमा रेखा कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/3/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर